

234

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 R 1/16 निगरानी

निग - 1222 - I - 16

श्री श्रीमती राजस्व अधिकारी

द्वारा आज दि. 18/11/16 को

प्रस्तुत

18-11-16
केलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रोशनी पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी
ग्राम सिलपुरी तह0 करहाल जिला श्योपुर
म0प्र0आवेदक

बनाम

1- सोनवीर सिंह पुत्र बदनसिंह जाति जाट
निवासी ग्राम पर्तवाडा तह0 करहाल जिला
श्योपुर म0प्र0

2- मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

निगरानी आदेश विरुद्ध आदेश दिनांक 22/03/2016

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय करहाल

जिला श्योपुर के प्र0क0 6/15-16 अपील/निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि ग्राम सिलपुरी तह0 करहाल जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 884/16 रकवा 2.090 व सर्वे क0 884/19 रकवा 1.045 है0 का आवेदक तहसील करहाल के प्र0क0 53/12-13 ×अ/6 में पारित आदेश दिनांक 20/05/2013 द्वारा आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया।
- 2- यह कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार महोदय करहाल के आदेश के विरुद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय करहाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र0क0 06/15-16 अपील पर पंजीबद्ध की गई।
- 3- यह कि आवेदक द्वारा धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत किया तथा अपील की प्रचलनता के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की तथा यह प्रार्थना की कि धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का सर्वप्रथम निराकरण किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/03/2016 द्वारा धारा 5 अवधि विधान के साथ अपील के गुण दोषों पर भी बहस श्रवण

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.1222-एक/2016

जिला श्योपुर

रोशनी विरुद्ध सोनवीर सिंह अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कराहल जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/2015-16/अपील/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(जे० के० जैन) सदस्य</p>	